न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नामः एकता काबरा, आर.ए.एस.
अपील संख्याः 3/2022
निर्णय दिनांकः 23.12.2022

1. गोरधन पुत्र कानाराम जाति कुमावत निवासी मोहल्ला टीलावाला, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के सामने ग्राम करेडा बुजुर्ग, तह0 निवाई जिला टोक।

...अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. महबूब खान पुत्र अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी रेल्वे स्टेशन रोड वार्ड नम्बर 25, तह0 निवाई जिला टोंक।

...प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 365 दिनांक 22–01–2022 ग्राम पंचायत नेवटा पंचायत समिति सांगानेर जयपुर

निर्णय

दिनांकः 23.12.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी के कब्जे व सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 277/1 रकबा 1.15 हैक्टयर स्थित ग्राम जयसिंहपुरा वास नेवटा पटवार हल्का नेवटा भू0अभि0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का हिस्सा 525/1472 निहित है। उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त भूमि के खातेदार कैलाश, बद्री, मोहन, कमलेश, भगवती, मधु, राहुल, सुमन, राजूलाल, रामपाल, से रकबा 0.50 हैक्टयर जिसमें अपीलार्थी का हिस्सा 41/50 व प्रत्यर्थी संख्या 2 का हिस्सा 9/50 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.10.2020 को क्रय किया था। जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगानेर प्रथम के यहां दिनांक 16.10.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1152 में पृष्ठ संख्या 202003024103839 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4203 के पृष्ठ संख्या 644 से 655 पर चस्पा किया गया अपीलार्थी ने उक्त भूमि में अपना नाम खुलवाने के लिए नामान्तकरण की कार्यवाही प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत कर दी। लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पटवारी से सांज कर उक्त भूमि में अपीलार्थी का हिस्सा 525/1472 के बजाय 2765/35328 करवा दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 365 दिनांक 22.01.2021 को ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा खोला गया। जबकि अपीलार्थी का हिस्सा उक्त भूमि में 525/1472 निहित था। उसी के अनुसार नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था जिससे व्यथीत होकर अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। अपीलार्थी का उक्त भूमि में 525/1472 निहित था तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 का हिस्सा 2765/35328 निहित था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पटवारी से सांज कर उक्त भूमि में अपीलार्थी का हिस्सा 2765/35328 व प्रत्यर्थी संख्या 2 का हिस्सा 525/1472 अपने नाम से ग्राम पंचायत नेवटा में नामान्तकरण संख्या 365 दिनांक 24.12.2020 को खुलवा लिया। जबकि अपीलार्थी का हिस्सा 525/1472 का नामान्तकरण अपीलार्थी के पक्ष में खोला जाना था। अपीलार्थी को रूपयों की जरूरत होने के कारण अपीलार्थी ने उक्त भूमि पर केसीसी लोन प्राप्त करने हेतु दिनांक 30.03.2022 को ई मित्र पर जाकर उक्त खसरा नंबर की नकल निकलवाई जिस पर अपीलार्थी उक्त खसरा नंबर की नकल लेकर पटवारी के पास गया तब अपीलार्थी की जानकारी में आया कि ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा दिनांक 22.01.2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.03.02 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

नामान्तकरण संख्या 365 खोला गया है उसमें अपीलार्थी का हिस्सा 525/1472 के बजाय हिस्सा 2765/35328 अंकित कर दिया गया है तत्पश्चात राजस्व जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में भी उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तकरण के आधार पर अंकन कर दिया गया। जिस पर अपीलार्थी ने पटवारी हल्का नेवटा तहसील सांगानेर के समक्ष उक्त खसरा नंबर की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर पटवार महोदय नेवटा द्वारा उक्त खसरा नंबर की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 22.06.2022 को अपीलार्थी को दी। जिस पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण से उक्त नामान्तकरण सही करवाने का निवेदन किया जिन्होंने मना कर दिया। अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को अपील सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तकरण संख्या 365 दिनांक 22.01.2021 को निरस्त फरमाया जावे और अपीलार्थी के हिस्से का सही नामान्तकरण हेतु प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को रिमाण्ड किया जावे।

अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण उपस्थित। दिनांक 07.10.2022 को उभयपक्षकारान उपस्थित, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपील को स्वीकार किये जाने में सहमति जाहिर की। तहसीलदार सांगानेर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपील का जवाब पेश किया। तहसीलदार सांगानेर की रिपोर्ट में अंकित किया कि कि विषयक अपील के संदर्भ में नामान्तकरण संख्या 365 दिनांक 22.01.2021 द्वारा महबूब खान पुत्र अब्दुल लतीफ स्सिा 525/1472 जाति मुसलमान निवासी रेल्वे स्टेशन रोड वार्ड नंबर 25 तहसील निवाई जिला टोंक व गोरधन पुत्र कानाराम हिस्सा 2705/35328 जाति कुमावत निवासी मोहल्ला रालबाला सीनियर सैकेण्डरी के सामने ककेडा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक के नाम स्वीकृत हुआ है। नामान्तकरण अनुसार ही जमाबंदी में अमल हुआ है जबकि विक्रय पत्र अनुसार महबूब खान पुत्र अब्दुल लतीफ हि0 2705/35328 जाति मुसलमान व गोरधन पुत्र कानाराम हिस्सा 525/1472 जाति कुमावत के नाम दर्ज होना चाहिए। उक्तानुसार प्रकरण में उपरोक्तानुसार नामान्तकरण संख्या 365 में हुई हिस्से की (सहवन से) त्रुटि शुद्वि हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार शुद्वि किया जाना सादर प्रस्तावित है।

प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर उक्त त्रुटिपूर्ण नामान्तकरण संख्या 365 दिनांक 22.01.2021 को निरस्त फरमाया जावे और अपीलार्थी के हिस्से को सही नामान्तकरण हेतु प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को रिमाण्ड किया जावे। प्रत्यर्थीगण संख्या दो ने अपील में अपीलार्थी के पक्ष में सहमति प्रदान की, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सहमति दिनांक 07.10.2022 की आदेशिका पर अंकित की।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या दो ने अपील में अपीलार्थी के पक्ष में सहमति प्रदान की एवं तहसीलदार सांगानेर ने उक्त अपील में तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन करने पर अपीलार्थी की ओर से पेश अपील को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 365 दिनांक 20.01.2022. को निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार सांगानेर को रिमांड किया जाता है आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को सर्रे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.03.02 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

(एकता करनानी)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

04, 2022, 07:22